# झारखण्ड सरकार
## स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग

### —:: प्रेस विज्ञप्ति ::—

संयुक्त असैनिक प्रतियोगिता परीक्षा—2021 के माध्यम से झारखण्ड लोक सेवा आयोग द्वारा झारखण्ड शिक्षा सेवा वर्ग—2 (मूल कोटि) के पदों पर नियुक्ति हेतु अनुशंसित अभ्यर्थियों को नियुक्ति के पूर्व शैक्षणिक/जाति/आवासीय आदि मूल प्रमाण पत्रों का सत्यापन कार्यक्रम दिनांक **18.06.2022** को झारखण्ड मंत्रालय, एम0डी0आई0 भवन, धुर्वा, राँची के प्रथम तल पर स्थित सभागार में दो पालियों में 11:00 बजे पूर्वाह्न से 02:00 बजे अपराह्न तक तथा 03:00 बजे से अपराह्न 06:00 बजे अपराह्न तक निर्धारित किया गया है, जिसके संबंध में सूचना विभागीय वेबसाईट एवं दूरभाष के माध्यम से संबंधित को भी प्रदान की गई है।

2. इस क्रम में सभी संबंधित को सूचित किया जाता है कि दिनांक—18.06.2022 को किसी कारणवश उक्त सत्यापन कार्यक्रम में भाग नहीं ले पाने वाले अभ्यर्थियों के प्रमाण पत्रों का सत्यापन दिनांक—20.06.2022 को किया जा सकेगा।

3. झारखण्ड शिक्षा सेवा वर्ग—2 (मूल कोटि) के पद पर झारखण्ड लोक सेवा आयोग द्वारा नियुक्ति हेतु अनुशंसित 41 अभ्यर्थियों की सूची स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग, झारखण्ड, राँची के अधिकारिक वेबसाईट—www.jharkhand.gov.in के Department of School Education & Literacy के Press Release Section पर उपलब्ध है।

4. सभी अनुशंसित अभ्यर्थी यथानिर्धारित स्थान, तिथि एवं समय पर सभी शैक्षणिक प्रमाण पत्रों तथा आरक्षित श्रेणी के अभ्यर्थी विज्ञापन में विहत जाति/दिव्यांगता/आवासीय आदि मूल प्रमाण पत्रों एवं आयोग द्वारा मुख्य परीक्षा हेतु निर्गत प्रवेश पत्र की मूल प्रति के साथ उपस्थित होंगे।

5. सभी चयनित अभ्यर्थी **विहित प्रपत्र में** अनुमण्डल पदाधिकारी/कार्यपालक दण्डाधिकारी द्वारा प्रमाणित इस आशय का शपथ पत्र समर्पित करेंगे कि उनके द्वारा समर्पित सभी प्रमाण पत्र सही हैं तथा उनके विरूद्ध किसी न्यायालय में कोई अपराधवाद/अन्य वाद दायर नहीं है एवं उनका आचरण प्रतिकूल नहीं है।

6. कंडिका—5 में वर्णित विहित प्रपत्र की प्रति अनुशंसित अभ्यर्थियों की सूची के साथ विभागीय वेबसाईट पर उपलब्ध है।

**ह0/—**
**(अनिल कुमार),**
सरकार के अवर सचिव।

ज्ञापांक— 01/नि03—01/2022— -1303 राँची, दिनांक— 17-06-2022

प्रतिलिपि— निदेशक, सूचना एवं जन सम्पर्क, झारखण्ड, राँची को इस अनुरोध के साथ प्रेषित है कि उक्त प्रेस विज्ञप्ति को राज्य स्तरीय सभी दैनिक समाचार पत्रों के अगले अंक में लगातार दो दिनों तक प्रमुखता से प्रकाशित करने हेतु आवश्यक कार्रवाई करने की कृपा की जाए।

17/6/22

सरकार के अवर सचिव।